

संचालनालय आयुष, म0प्र0
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755) 2990500
(0755) 2571643

दिनांक : ०९ / 10 / 2026

-विज्ञप्ति-

- स्नातक तृतीय चरण काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा) सत्र 2026-27 -
-बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस-

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2026 तथा म0प्र0 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2026 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत तृतीय चरण का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र	विवरण	दिनांक एवं समय
1	NEET UG -2026 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन	दिनांक 14/10/2026 से 16/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक
2	पंजीयन फार्म में ऐडिट करने की सुविधा (Only For the newly registered candidates of the Third round.)	दिनांक 14/10/2026 से 17/10/2026 सायं 05 बजे तक
3	हेल्प सेन्टर्स पर अभिलेख सत्यापन (Please note that once the candidate's details have been verified, they will not be able to make any further changes to their registration information.)	दिनांक 15/10/2026 से 17/10/2026 सायं 05 बजे तक
4	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 21/10/2026
5	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 21/10/2026
6	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग)	दिनांक 28/10/2026 से 30/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक
7	च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट करने की सुविधा	दिनांक 28/10/2026 से 30/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक
8	सीट आवंटन	दिनांक 03/11/2026
9	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 04/11/2026 से 06/11/2026 सायं 06 बजे तक
10	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 04/11/2026 से 06/11/2026 सायं 07 बजे तक

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- 3- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- 5- नियम/निर्देशों एवं अपडेट हेतु विभागीय वेबसाइट <https://ayush.mp.gov.in> एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा निर्देशित

(डॉ० पंकज गुप्ता)
प्र0उप संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0